273235 - मरम्मत की दुकानों के मालिकों को उन उपकरणों का क्या करना चाहिए जिन्हें उनके मालिक लंबे समय तक छोड़ देते हैं?

प्रश्न

एक मामला है जो मुझे परेशान कर रहा है, और मैं उसके हुक्म को नहीं जानता। मैं एक युवा हूँ और मेरे पास घरेलू उपकरणों, ज़्यादातर फ़्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर की मरम्मत की दुकान है। जिस दुकान मे मैं काम करता हूँ वह बड़ी नहीं है। कभी-कभी मेरे पास रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीनों के ढेर लग जाते हैं, और उनके मालिक उन्हें लेने नहीं आते हैं और उनकी मरम्मत नहीं करवाना चाहते हैं। मुझे कभी-कभी एक साल और कभी-कभी दो साल तक उनके आने की प्रतीक्षा में धैर्य रखना पड़ता है, परंतु वे नहीं आते हैं। फिर क्योंकि दुकान भर जाती है और उन उपकरणों को रखने के लिए जगह नहीं होती जिनके मालिक उनकी मरम्मत करवाना चाहते हैं, मेरे पास उन्हें अलग करके फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कभी-कभी मैं उन्हें एक महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए दुकान के बाहर छोड़ देता हूँ, और वे उन्हें लेने नहीं आते हैं। इसलिए मैं उन्हें फेंक देता हूँ। कभी-कभी मैं उनसे पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) ले लेता हूँ, अगर वे इस्तेमाल करने के लायक हों। एक या दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, उनमें से कुछ अपने उपकरणों के बारे में पूछने आते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि अगर जगह की कमी के कारण मैं उन्हें फेंकने के लिए मजबूर न होता, तो मैंने उन्हें नहीं फेंका होता। उनमें से कुछ इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, और उनमें से कुछ मुझसे कहते हैं : मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा; मुझे मेरा उपकरण चाहिए। कभी-कभी, जब मुझे पता चलता है कि टूटे हुए उपकरण का मालिक कहाँ रहता है, जिसने एक साल तक इसके बारे में नहीं पूछा, तो मैं अपने खर्चे पर एक ट्रक किराए पर लेकर उनके घर तक पहुँचा देता हूँ। लेकिन कभी-कभी, मुझे नहीं पता होता कि उसका मालिक कौन है, क्योंकि वे उपकरण दुकान के बाहर छोड़ देते हैं और मैं उन्हें पाता हूँ, और उन्हें छह महीने से अधिक समय तक रखता हूँ। फिर अगर उनका मालिक नहीं आता है, तो मैं उन्हें फेंक देता हूँ। मैं अपनी स्थिति के बारे में इस्लामी शरीयत का हुक्म जानना चाहता हूँ। क्या वे उपकरण जिन्हें मैं फेंक देता हूँ, मेरे पास छोड़ी गई अमानत समझे जाएँगे, और उन्हें नष्ट करना जायज़ नहीं है? अगर जवाब हाँ है, तो क्या कोई समयावधि है तब तक मुझे उन्हें रखना चाहिए? अगर यह जायज़ नहीं है, तो कृपया मुझे बताएँ और मुझे सलाह दें, क्योंकि मैं उलझन में हूँ, और मैं अल्लाह तआला को क्रोधित नहीं करना चाहता, और उन लोगों में से नहीं बनना चाहता जो अवैध रूप से लोगों के धन खाते हैं।

विस्तृत उत्तर

जिन उपकरणों को उनके मालिक आपके पास मरम्मत के लिए लाते हैं, उन्हें आपके पास "अमानत" माना जाता है, आपको उन्हें तब तक संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए, जब तक कि उनके मालिक उन्हें लेने न आ जाएँ।

लेकिन यदि उपकरण का मालिक अपने उपकरण की मरम्मत के बाद उसे प्राप्त करने के लिए सामान्य अवधि से अधिक देर से आता है, जिससे आप उसके वापस आने की उम्मीद खो देते हैं, या यदि जगह की कमी के कारण इन उपकरणों को छोड़ना आपके लिए

हानिकारक है, या उन्हें रखने में कठिनाई है, इत्यादि :

तो ऐसी स्थिति में, अपने आपको नुक़सान से बचाने के लिए, आपको यह अधिकार है कि आप इन उपकरणों को बाजार में इनके समान कीमत के अनुसार बेच दें, और उनकी कीमत से अपनी निर्धारित मज़दूरी की राशि ले लें, और बाकी पैसे अपने पास रखें। फिर अगर उसका मालिक किसी दिन आता है, तो आप बाकी पैसे उसे वापस कर दें।

“अल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी” वेबसाइट की फ़तवा समिति ने कहा : “उसे उस अवधि तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जिसके बाद प्रबल संभावना है कि मालिक कदापि नहीं आएगा, फिर वह उसे बेच दे और अपने काम की मजदूरी तथा प्रथा (रिवाज) द्वारा या शर्त द्वारा निर्धारित जगह का किराया ले ले। फिर यदि कुछ भी बचता है, तो वह मालिक की संपत्ति के रूप में उसके पास रहेगा। अगर मालिक उसके पास आता है, तो वह उसे वापस कर देगा, और अगर वह नहीं आता है, तो उसके लिए जो कुछ बचा है उससे लाभ उठाना जायज़ है और वह उसके समान मात्रा की गारंटी देगा। लेकिन यदि वह सावधानी बरतने हुए उसे अपने पास सुरक्षित रखता है, तो यह बेहतर है।

इस्लामी शरीयत के सामान्य नियम कि 'नुकसान को दूर किया जाना चाहिए' के अनुसार ऐसा ही करना आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि दुकान में इन वस्तुओं के बने रहने और काम की मज़दूरी का भुगतान न होने में ; वर्कशॉप या लॉन्ड्री के मालिक का बड़ा नुकसान है, खासकर अगर उसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत है, साथ ही उसे अपने कर्मचारियों की मज़दूरी और दुकान का किराया भी देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह उसे कुछ अन्य काम वापस भी करने पड़ सकते हैं क्योंकि उसके पास वस्तुओं को रखने के लिए जगह नहीं है।

मामला उस समय और भी गंभीर हो जाता है अगर इसे एक से अधिक ग्राहकों द्वारा दोहराया जाता है। चुनाँचे इन सबसे दुकान के मालिक को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो उसके लिए इन वस्तुओं को बेचकर उनका निपटान करने को उचित ठहराता है।” “अल-फ़िक़्ह एल-इस्लामी” से उद्धरण समाप्त हुआ।

आपको हमारी सलाह :

यह है कि आप अनुबंध में एक खंड जोड़ दें, या कागज़ के एक टुकड़े पर लिखकर इसे अपनी दुकान में किसी दृश्य स्थान पर लटका दें ताकि ग्राहक इसे देख सकें (जिसमें कहा गया हो कि) :

एक निश्चित अवधि (जो आप दोनों पक्षों के लिए उचित समझते हैं) के बाद उपकरणों का निपटान कर दिया जाएगा, यदि उनके मालिक उन्हें लेने नहीं आते हैं।

इस अवधि के समाप्त होने के बाद, आप उन्हें रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए आपके लिए उन्हें बेचकर और अपनी मज़दूरी लेकर, फिर बाकी को दान में देकर, या इसे वैसे ही दान में देकर, इससे छुटकारा पाना जायज़ है, या यदि वह दान में देने या बिक्री के लिए उपयोगी नहीं है तो उनसे (किसी भी तरह) छुटकारा पाना जायज़ है।

उससे भी बेहतर : यह है कि आप प्रत्येक उपकरण पर उसके मालिक का फ़ोन नंबर, या उससे संपर्क करने की विधि, मैसेज आदि के द्वारा, साथ ही उपकरण प्राप्त करने की तारीख लिख लें। अवधि समाप्त होने से पहले : आप उसे यह चेतावनी देने के लिए कॉल करें कि यदि वह इसे प्राप्त करने के लिए नहीं आता है तो आप उसके उपकरण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि वह आता है, तो ठीक है, अन्यथा आप ऊपर बताए गए तरीक़े के अनुसार उसका निपटान कर दें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।